

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6/वि0पत्रा-24-07/2024

पटना, दिनांक—

श्रीमती ऋचा कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), तिरहुत प्रमण्डल (अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-08.09.2024 से 26.01.2025 तक कुल 141 (एक सौ इक्तालीस) दिनों का उपार्जित अवकाश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 236 के तहत दिनांक-27.01.2025 से 18.05.2025 तक शेष 112 (एक सौ बारह) दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती कुमारी के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (141-141=00) (शून्य) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

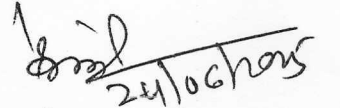
(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा-24-07/2024 2593

पटना, दिनांक-25/06/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर/राज्य-कर अपर आयुक्त तिरहुत प्रमण्डल (अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती ऋचा कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), तिरहुत प्रमण्डल (अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।